निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 माघ 1947 (श0)

(सं0 पटना 185) पटना, सोमवार, 09 फरवरी 2026

सं० सं० वि0(27) पे0 को0(भ0नि0ब्याज)-20/2021-94(पें0)/वि0
वित्त विभाग

संकल्प
9 फरवरी 2026

विषयः वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान सामान्य भविष्य निधि तथा उसी प्रकार की अन्य निधियों के अभिदाताओं की कुल जमा रकमों पर दी जाने वाली ब्याज दर 01 जनवरी,2026 से 31 मार्च,2026 तक 7.1% (सात दशमलव एक प्रतिशत) के निर्धारण के सम्बन्ध में ।

वित्त विभाग के संकल्प ज्ञापांक-897(पें0)/वि0, दिनांक 31.10.2025 द्वारा सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि में वित्तीय वर्ष 2025-26 के तृतीय तिमाही दिनांक 01.10.2025 से 31.12.2025 तक की अवधि के लिए केन्द्र सरकार के अनुरूप ब्याज दर 7.1% (सात दशमलव एक प्रतिशत) लागू किया गया है ।

(2) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग(बजट प्रभाग) के संकल्प- एफ संख्या-5(3)-बी(पी.डी.)/2023 दिनांक 09.01.2026 द्वारा सामान्य भविष्य निधि तथा उसी प्रकार की अन्य निधियों के अभिदाताओं की कुल जमा रकमों पर वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान दिनांक 01.01.2026 से 31.03.2026 तक की अवधि के लिये ब्याज दर 7.1% (सात दशमलव एक प्रतिशत) निर्धारित की गयी है ।

(3) अतः राज्य सरकार के निर्णयानुसार सामान्य भविष्य निधि एवं अन्य सदृश निधि में अभिदाताओं के संचित राशि पर वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान दिनांक 01.01.2026 से 31.03.2026 तक की अवधि के लिये ब्याज दर 7.1% (सात दशमलव एक प्रतिशत) लागू होगी ।

(4) पटना उच्च न्यायालय/बिहार विधान परिषद्/बिहार विधान सभा के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के अंशदान की राशि पर ब्याज की उक्त दर के निर्धारण के सम्बन्ध में माननीय मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, पटना/माननीय सभापति, बिहार विधान परिषद्/माननीय अध्यक्ष,

बिहार विधान सभा का अनुमोदन प्राप्त कर संबंधित कार्यालय/सचिवालय द्वारा आदेश निर्गत किया जायेगा ।

आदेशः आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में किया जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से
जय सिंह,
सचिव(सं0)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।
बिहार गजट (असाधारण) 185-571+10-डी0टी0पी0।
Website: https://egazette.bihar.gov.in